रजिस्ट्री सं. डी एल—33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

REGD. No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146] दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 2008/भाद्र 21, 1930 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 172

No. 146] DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 2008/BHADRA 21, 1930 [N.C.T.D. No. 172

भाग—IV

PART—IV

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 सितम्बर, 2008

डीपीसीसी/ईआईए/एमआईएससी/2734–2753.—जबकि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम 29) की धारा 3 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार की दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) के अनुसरण में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने 30 जुलाई, 2008 की सं. का.आ. 1888(अ) द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसई.आईएस) का गठन किया है तथा उक्त प्राधिकरण की सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के परामर्श से इसी तरह राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्य मूल्यांकन समिति का गठन किया ।

2. और जबकि 30 जुलाई, 2008 की उपरोक्त उल्लिखित अधिसूचना के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) दिल्ली तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम 29) के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएएल) के प्रभावी कार्यों की देखभाल करने के लिए एजेंसी को अधिसूचित करती है ।

3. अब इसलिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30 जुलाई, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1888 (अ) के पैरा 5 तथा पैरा 10 के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अन्तर्राज्य बस टर्मिनल बिल्डिंग, चौथा तल, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006 में स्थित दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए एजेंसी के रूप में अधिसूचित करती है तथा उसे राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) दिल्ली तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएएल) दिल्ली के समस्त सांविधिक कार्यों के लिए सभी वित्तीय तथा संभारतंत्र संबंधी समर्थन प्रदान करेगी ।

4. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य को बैठक उपस्थित शुल्क तथा यात्रा भत्ता देने की व्यवस्था करेगी । इस उद्देश्य के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति अलग से एक आदेश शीघ्र जारी करेगी ।

5. भारत सरकार की दिनांक 30 जुलाई, 2008 उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण का गठन निम्नानुसार किया गया है :—

1.	श्री जगदीश सागर, आईएएस, भूतपूर्व, बी–401, एसपीएस, रेजीडेंसी वभैव खण्ड इन्द्रापुरम, गाजियाबाद, उ. प्र.	—अध्यक्ष परियोजना प्रबंधन
2.	डॉ. एस. के. गुप्ता, विभागाध्यक्ष कैमिकल इंजिनियरिंग विभाग आइआईटी दिल्ली, हौज खास, नई दिल्ली	—सदस्य पर्यावरण प्रबंधन
3.	सदस्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति	—सदस्य सचिव

6. भारत सरकार की दिनांक 30 जुलाई, 2008 उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्य निर्धारण समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है :—

1.	प्रो. सी. आर. बाबू, अक्रमित परिप्रणालियां पर्यावरणीय प्रबंधन केन्द्र (सीईएमडीई) पर्यावरण अध्ययन विद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली–07	अध्यक्ष, जीवन विज्ञान
2.	डॉ आर के खंडल, निदेशक, श्री राम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, 19, विश्वविद्यालय रोड, दिल्ली–07	सदस्य, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया
3.	श्री वी. एस. वर्मा, सदस्य (योजना), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं पदेन सदस्य, अपर सचिव, भारत सरकार	सदस्य, उर्जा क्षेत्र में परियोजना प्रबंधन
4.	प्रोफेसर सुबीर कुमार शहा, निदेशक (कुलपति), योजना एवं आर्किटेक्चर विद्यालय, 21, एस पी ए कॉम्पलेक्स, न्यू फ्रेन्ड्स कॉलोनी, नई दिल्ली–65	सदस्य, निर्माण क्षेत्र में सैक्टोरल विशेषज्ञ, परियोजना प्रबंधन एवं जोखिम मूल्यांकन
5.	डॉ. (श्रीमति) पी. मालारविजी, एसोसिएट प्रो., इन्सीटीट्यूट फार इन्टीग्रेटिड लरनिंग इन मैनेजमेंट नं. 2, लोदी इंस्टीट्यूटशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली–03	सदस्य, पर्यावरणीय एकाउंटिंग
6.	प्रो. मिहिर देव, प्रोफेसर एवं निदेशक, पर्यावरणीय अध्ययन विद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली–07	सदस्य, खनन क्षेत्र में सेक्टोरल विशेषज्ञ
7.	सदस्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति	सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

जे. के. दादू, सचिव

ENVIRONMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 12th September, 2008

DPCC/EIA/MISC/2734—2753.—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (Act 29 of 1986), and in pursuance of the Government of India notification number S.O. 1533(E) dated 14th September, 2006, the Ministry of Environment and Forests, Government of India has constituted State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Delhi *vide* No. S.O. 1888 (E) dated 30th July, 2008 and to assist the said authority, the Central Government, in consultation with the State Government has constituted the State Level Expert Appraisal Committee as well;

2. And whereas, in pursuance of the above referred Notification dated 30th July, 2008, the Government of National Capital Territory of Delhi is to notify the Agency to look after Secretariat functions for the effective functioning of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Delhi and the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted for the National Capital Territory of Delhi under Environment (Protection) Act, 1986 (Act 29 of 1986).

3. Now, therefore, in pursuance of paras 5 and 10 of the Notification No. S.O. 1888(E) dated 30th July, 2008 of the Ministry of Environment and Forests, Government of India, New Delhi, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby notifies the Delhi Pollution Control Committee situated at ISBT Building, 4th Floor, Kashmere Gate, Delhi-110006, as the Agency to act as the Secretariat and shall provide all financial and logistic support in respect of all statutory functions of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Delhi and the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC), Delhi.

4. The Delhi Pollution Control Committee shall arrange to pay Sitting fee and Travelling Allowance to the Chairman and Members of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Delhi and the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC), Delhi. For this purpose DPCC will issue a separate order expeditiously.

5. The constitution of SEIAA as per Government of India afforesaid notification dated 30th July, 2008 is as follows :—

1.	Sh. Jagdish Sagar, IAS, Retd. B-401, SPS Residency, Vibhav Khand, Indrapuram, Ghaziabad, UP.	Chairman, Project Management
2.	Dr. S. K. Gupta, Head Chemical Engineering, Deptt., IIT Delhi, Hauz Khas, New Delhi.	Member Environment Quality
3.	Member Secretary, Delhi Pollution Control Committee.	Member Secretary

6. The constitution of State Level Expert Appraisal Committee as per Government of India aforesaid notification dated 30th July, 2008 is as follows :—

1.	Prof. C. R. Babu, Central for Environmental Sciences, Management of Degraded Eco-systems (CEMDE) School of Environment Studies, University of Delhi, Delhi-110007	Chairman, Life Sciences
2.	Dr. R. K. Khandal, Director, Shriram Institute of Industrial Research, 19, University Road, Delhi-110007	Member, Environmental Impact Assessment Process
3.	Sh. V. S. Verma, Member (Planning) Central Electricity Authority and ex-officio Additional Secretary to Government of India.	Member, Project Management in Engery Sector
4.	Prof. Subir Kumar Saha, Director (Vice-Chancellor) School of Planning and Architecture, 21, SPA Complex, New Friends Colony, New Delhi-110065	Member, Sectoral expert in construction sector, Project Management and Risk Assessment
5.	Dr. (Mrs.) P. Malarvizhi, Associate Professor, Institute for Integrated Learning in Management No. 2, Lodhi Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003.	Member, Environmental Accounting

6. Prof. Mihir Deb, Professor and Director School of Environment Studies, University of Delhi, Delhi-110007	Member, Sectoral expert in mining sector	7. Member Secretary, Delhi Pollution Control Committee.	Secretary

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi.

J. K. DADOO, Secy.

खाद्य, संभरण एवं उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग

आदेश

दिल्ली, 12 सितम्बर, 2008

सं. एफ. एंड एस.ईंधन/शाखा/5/1/94/2001-02/3136.—दिल्ली अत्यावश्यक पदार्थ मूल्य नियंत्रण आदेश, 1977 के खंड 4 के परन्तुक के अनुसरण में और इस संबंध में जारी समस्त पूर्व आदेशों का अतिक्रमण करते हुए मैं विजय देव, आयुक्त, खाद्य एवं संभरण विभाग, दिल्ली एतद्द्वारा उक्त आदेश के संलग्न अनुसूची का मिट्टी के तेल से संबंधित मद संख्या 5 पर निम्नलिखित इन्द्राज तत्काल से प्रतिस्थापित करता हूँ, अर्थात्:-

क्रमांक	पद	अधिकतम थोक मूल्य	मूल्य की इकाई	अधिकतम खुदरा मूल्य	मूल्य की इकाई	कैफियत
5	मिट्टी का तेल बढिया किस्म					
क	ब्रिजवासन/ शकूर बस्ती डिपो पर तेल कंपनियों द्वारा एजेंटों को तेल बेचे जाने का थोक भाव	8405.86 रुपये आठ हजार चार सौ पांच रुपये छयासी पैसे	प्रति किलोलीटर	.....	.....	वैट सहित
ख	एजेन्टों द्वारा खुदरा व्यापारियों/ फेरीवालों को तेल का भाव	9033.79 रुपये नौ हजार तैंतीस तथा उनासी पैसे	प्रति किलोलीटर	.....	.....	वैट सहित
ग	खुदरा व्यापारियों/फेरीवालों द्वारा उपभोक्ताओं को तेल बेचने का खुदरा भाव	9219.95 रुपये नौ हजार दो सौ उन्नीस तथा पचानवें पैसे	प्रति किलोलीटर	9.22 रुपये नौ तथा बाइस पैसे	प्रति लीटर	वैट सहित

विजय देव, सचिव एवं आयुक्त

23379372

OFFICE OF THE COMMISSIONER FOOD, SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS

ORDER

Delhi, the 12th September, 2008

No. F & S/Fuel (Branch)/5/1/94/2001-02/3136.—In pursuance of the provision of clause 4 of the Delhi Essential Articles (Price Control) Order, 1977 and in supersession of all previous orders issued in this behalf, I, Vijay Dev, Commissioner, Food and Supplies, Delhi hereby order that for the existing entries against item No. 5 in the Schedule appended to the said order relating to Kerosene Oil the following entries shall, with immediate effect, be substituted, namely :—

No.	Articles	Whole Sale Price	Unit of Price	Max Retail Price	Unit of Price	Remarks
5.	Kerosene Oil (Superior Quality)					
A	When sale is made by Oil Co. to an agent at Bijwasan/Shakurbasti Delhi term in bulk	8405.86 (Rs. Eight Thousand Four Hundred Five & Paise Eighty Six only)	per KL.	....	....	Inclusive of Vat
B	When sale is made an Agent to Retailers/ Hawkers/Bulk	9033.79 (Rs. Nine Thousand Thirty three & Paise Seventy Nine only)	Per KL.	.....	.....	Inclusive of Vat
C	When sale is made by a Retailer & Hawker to Consumer (Loose)	9219.95 (Rs. Nine Thousand Two Hundred Ninteen & Paise Ninty Five only)	Per KL.	9.22 (Rs. Nine & Paise Twenty two only)	Per Ltr.	Inclusive of Vat

VIJAY DEV, Secy-cum-Commissioner

23379372